राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, जयपुर

क्रमांकः एफ.वी.4 ( )आर.ए.सी.पी./डीएएच–नोड़ल/191   दिनांकः 25/5/18

परिपत्र

अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग द्वारा दिनांक 18.05.2018 को विभिन्न योजनाओं में बकरा–बकरी क्रय की प्रक्रिया की समीक्षा की गई। विभाग की विभिन्न योजनाओ यथा एन.एल.एम, टाडा, माडा, बिखरी आबादी एंव आर.ए.सी.पी. आदि विभाग की अन्य योजनाओं के तहत बकरा/बकरी क्रय एवं विक्रय के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य के बकरी पालकों/बकरी प्रजनन फार्म्स् को सूचीबद्ध **(Empanel)** किये जाने एवं बकरा/बकरी क्रय हेतु निम्न लिखित निर्देश जारी किये जाते है।

उक्त निर्देश विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में बकरा–बकरी क्रय किये जाने हेतु पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों के अतिक्रमण में जारी किये जाते है। उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगें। भविष्य में विभाग की समस्त योजनाओं में जारी निर्देशों के तहत ही बकरा/बकरी क्रय की कार्यवाही की जावे।

1. **बकरी पालकों/बकरी प्रजनन फार्मस् को सूचीबद्ध (Empanel) किये जाने हेतु निर्देश :–**

   जिलें में उन बकरी पालकों/बकरी प्रजनन फार्मस् को सूचीबद्ध किया जाये, जिनके पास प्रदेश की मुख्य नस्ल जैसे **जमूनापारी/सिरोही/मारवाडी/जखराना नस्ल** के **कम से कम 3 प्रजनन योग्य बकरे तथा 30 बकरियां उपलब्ध** हो एवं विभागीय योजनाओं के लिये अपने बकरा/बकरी विक्रय करने का इच्छुक हो।

2. **बकरी पालकों/बकरी प्रजनन फार्मस् को सूचीबद्ध किये जाने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाः–**

   2.1 जिला सयुंक्त निदेशक, पशुपालन/उपनिदेशक कुचामन सिटी, अपने जिले के स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर इच्छुक बकरी प्रजनन फार्म/ बकरी पालकों से आवेदन प्राप्त करेगें।

   2.2 इस हेतु जिले की पशु चिकित्सा संस्थाओं द्वारा अपने क्षेत्र के बकरी पालकों/बकरी प्रजनन फार्मस को सूचीबद्ध किये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा, ताकि अधिक से अधिक बकरी पालकों/बकरी प्रजनन फार्मस् को सूचीबद्ध किया जा सकें।

   2.3 बकरी पालक/बकरी प्रजनन फार्मस् सूचीबद्ध किये जाने हेतु आवेदन पत्रक (प्रपत्र–1) विभागीय वेबसाईट/संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक कुचामनसिटी, पशुपालन विभाग कार्यालय से प्राप्त कर सकेगें। पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन संबंधित जिला संयुक्त निदेशक/उप निदेशक कुचामनसिटी कार्यालय में जमा कराना होगा।

3. **बकरी पालकों/बकरी प्रजनन फार्मस् को सूचीबद्ध किये जाने हेतु समिति का गठन एवं प्रकियाः–**

   3.1 जिला स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों का निरीक्षण एवं सत्यांपन जिला स्तरीय "इम्पेनलमेंट कमेटी" द्वारा किया जावेगा, जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगेः–

   - संयुक्त निदेशक पशुपालन/उपनिदेशक, कुचामन सिटी या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि जोकि उपनिदेशक स्तर से कम का नहीं हो।
   - आवेदनकर्ता बकरीपालक/बकरी प्रजनन फार्मस के क्षेत्र से सम्बन्धित विभागीय नोडल अधिकारी।
   - आवेदनकर्ता बकरीपालक/बकरी प्रजनन फार्मस के क्षेत्र से सम्बन्धित पशु चिकित्सालय का वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सा अधिकारी।

   3.2 कमेटी द्वारा बकरी पालकों/बकरी प्रजनन फार्मस् के सूचीबद्ध (Empanel) किये जाने के सम्बन्ध में प्रपत्र–2 में उल्लेखित बिन्दुओं/चैक लिस्ट के अनुसार सत्यापन/परीक्षण किया जाकर सूचीबद्ध (Empanel) किये जाने की अनुशंषा करेगी, जिसे सम्बन्धित अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्र द्वारा अनुमोदित किया जावेगा।

3.3 सूचीबद्ध (Empanel) किये अनुमोदित बकरी पालकों/बकरी प्रजनन फॉर्मस की सूचना सम्बन्धित अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्र द्वारा निदेशालय को भिजवायी जावेगी। तदुपरांत निदेशालय स्तर से संकलित जिलावार सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ की जावेगी।

3.4 बकरीपालक/बकरी प्रजनन फार्मस् के प्रथम Empanelment हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही निदेशालय पशुपालन विभाग जयपुर द्वारा जारी किया जावेगा।

3.5 प्रथम Empanelment जारी होने के उपरांत बकरा/बकरी विक्रय हेतु पुनः 6 माह के अन्तराल से अथवा आवश्कतानुसार, निदेशालय पशुपालन विभाग जयपुर जारी कार्यक्रम के अनुसार Empanelment को अद्यतित (*UPDATE*) किया जा सकेगा।

3.6 Empanelment सूची से बकरीपालक/बकरी प्रजनन फार्मस को किसी भी समय, बिना किसी कारण बताये निदेशक, पशुपालन हटा सकेंगे।

3.7 प्रथम Empanelment हेतु जारी किये जाने का कार्यक्रम/अवधि निम्नानुसार रहेगी:—

क्रम संख्या	प्रक्रिया	अवधि/अन्तिम तिथी
1	Empanelment हेतु विज्ञप्ति जारी करने की तिथि	31 मई 2018 से पूर्व
2	आवेदन करने की अवधि	1 जून, 2018 से 15, जून, 2018
3	जिला स्तरीय "इम्पेनलमेंट कमेटी" द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण/भौतिक सत्यापन किया जाकर अपनी अनुशंषा सम्बन्धित संभागीय अतिरिक्त निदेशक को प्रेषित करने की अन्तिम तिथि।	25, जून 2018 तक
4	संभागीय अतिरिक्त निदेशक द्वारा Empanelment सूची को अनुशंषा सहित निदेशालय को अग्रेषित किये जाने की अन्तिम तिथि ।	30, जून 2018
5	निदेशालय द्वारा जिलेवार Empanelment सूचियों को अनुमोदित कर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने की अन्तिम तिथि।	5 जुलाई, 2018

4. विभागीय योजनाओं के तहत बकरा/बकरी क्रय किये जाने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रियाः—

4.1 विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत बकरा/बकरी क्रय, विभाग द्वारा सूचीबद्ध (Empanel) किये गये बकरी प्रजनन फार्म/बकरीपालकों/विभागीय/राजुवास/आई.सी.ए.आर. फार्मस् से किया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में ट्रेडर अथवा अन्य किसी माध्यम से बकरा/बकरी कय नही किये जा सकेगें।

4.2 पशुपालन विभाग /राजुवास/आई.सी.ए.आर. के फार्मस Empanel प्रकिया से मुक्त रहेंगे। सर्व प्रथम इन्हीं बकरे/ बकरियों का कय किया जाना अनिवार्य होगा। इन फार्मों पर बकरे/ बकरियों निर्धारित नोर्मस् के अनुसार उपलब्ध नही होने पर ही Empanel सूचि से कय कर सकेंगे।

4.3 जमुनापारी नस्ल के ब्रीडिंग ट्रेक्ट राजस्थान के साथ साथ उत्तरप्रदेश में भी होने के कारण क्रय समिति योजना के दिशा—निर्देशों के अनुरूप राज्य के बाहर से भी जमुनापारी नस्ल के बकरा—बकरी क्रय करने हेतु अधिकृत रहेगी।

4.4 विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत बकरा/बकरी क्रय राज्य की ब्रीडिंग पॉलिसी अनुसार ही किया जावेगा।

5. कय समिति का गठनः—

5.1 जिला स्तर पर निम्नानुसार क्रय समिति का गठन कर योजना अनुरुप विशिष्ट दिशा—निर्देशों के अनुरूप क्रय की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी:—

- संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, कुचामन सिटी द्वारा मनोनीत निकटतम प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय/पशु चिकित्सालय का एस.वी.ओ/वी.ओ., जिस क्षेत्र के लिए पशु कय किये जा रहे है।
- लेखाकर्मी – जिला संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक कुचामन सिटी कार्यालय अथवा सम्बन्धित अतिरिक्त निदेशक, कार्यालय में कार्यरत अथवा जिला स्तर पर कलेक्टरेट/अन्य विभाग से इस कार्य हेतु मनोनीत लेखा कर्मी।

- निकटतम प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय/पशु चिकित्सालय का एस.वी.ओ/वी.ओ., जिस क्षेत्र से पशु क्रय किये जा रहे है।
- लाभार्थी/प्रतिनिधि बकरी पालक (सम्बन्धित योजना की गाईडलाईन अनुसार)

5.2 एस.वी.ओ./वी.ओ. जोकि गत वर्ष क्रय समिति के सदस्य रहे है उन्हे आगामी एक वर्ष तक क्रय समिति के सदस्य हेतु मनोनीत नहीं किया जावे। ऐसी स्थिति में संबंधित जिला संयुक्त निदेशक/उप निदेशक कुचामनसिटी अपने स्तर से अन्य किसी अधिकारी को मनोनीत कर सकेगा।

5.3 क्रय समिति पशु क्रय कार्यक्रम का निर्धारण 10 दिवस पूर्व तैयार कर सम्बन्धित जिलें, जहॉ से बकरा/बकरी क्रय किये जाने है, के संयुक्त निदेशक /उपनिदेशक, कुचामन सिटी, सम्बन्धित संभागीय अतिरिक्त निदेशक एवं निदेशालय पशुपालन को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें, ताकि सम्बन्धित जिला संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक कुचामन सिटी, उस क्षेत्र के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सा अधिकारी को समय पूर्व ही क्रय समिति हेतु मनोनीत कर सकें।

5.4 मनोनीत किये गये वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सा अधिकारी के किसी कारणवश अनुपलब्धता की स्थिति पर संयुक्त निदेशक अपने स्तर से अन्य समकक्ष अधिकारी को मनोनीत कर सकेंगें, जिसकी सूचना सम्बन्धित जिला संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, कुचामन सिटी, अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्र एवं निदेशालय को भिजवाई जानी आवश्यक होगी।

5.5 जिला नोडल अधिकारी, निदेशालय/अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्र/संयुक्त निदेशक /उपनिदेशक, कुचामन सिटी कार्यालय के अधिकारी भी रेन्डम रूप से क्रय कार्यवाही में भाग लिया जाना सुनिश्चित करेगें।

उक्त दिशा–निर्देश अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन विभाग से अनुमोदित है।

(डॉ. अजय कुमार गुप्ता)
निदेशक

क्रमांकः एफ.वी.4 ( )आर.ए.सी.पी./डीएएच–नोड़ल/191-233 दिनांकः 25/5/18

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं कृषि विपणन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. परियोजना निदेशक, आर.ए.सी.पी., दुर्गापुरा जयपुर।
4. शासन उपसचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, पशुपालन विभाग जयपुर।
7. समस्त संभागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
8. समस्त जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
9. उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, कुचामन सिटी, राज.।
10. परियोजना समन्वयक (पशुपालन), आर.ए.सी.पी., दुर्गापुरा, जयपुर।
11. जिला नोड़ल अधिकारी, निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर।
12. सम्बन्धित योजना प्रभारी ....।
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

प्रपत्र – 1

पशुपालन विभाग में बकरा/बकरी विक्रय हेतु बकरी पालक/बकरी प्रजनन फार्मस् को सूचीबद्व (Empanelment) किये जाने हेतु आवेदन पत्र

1 बकरी पालक/बकरी प्रजनन फार्म मैनेजर /मालिक का नाम :
....

आवेदक का नवीनतम फोटो

2. पिता/पति का नाम : ....
3. जाति (जनरल/ओ.बी.सी./एस.एसी./एस.टी.) : ....
4. ग्राम : ....
5. ग्राम पंचायत : ....पंचायत समिति..
6. तहसील : ....
7. जिला : ....
8. पूर्ण स्थायी पता : ....
....
9. मूल निवास : .... (मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति अथवा स्थानीय सरपंच से स्थानीय होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. मोबाईल नम्बर : ....
11. प्रजनन फार्म की स्थापना से संबंधित प्रमाणपत्र / शपथपत्र...................... (प्रति संलग्न करें)
11. पूर्व में विभाग अथवा अन्य मान्यता प्राप्त संस्था को नस्ल सुधार हेतु बकरा/बकरी विक्रय किया है अथवा नहीं ? .... यदि हॉ तो इस बाबत् प्रमाण पत्र संलग्न करें।
12. बेंक खाते का विवरण:–(बैंक खाते की पास बुक के प्रथम पृष्ठ प्रति संलग्न करें)

खाता संख्या	बैंक का नाम	शाखा	आई.एफ.एस.सी. कोड़

14. निकटतम पशुपालन विभाग की संस्था का नाम : ....
15. **बकरी पालक/बकरी प्रजनन फार्म के पास उपलब्ध बकरा/बकरियों की संख्या** (आवेदन पत्र भरे जाने की दिनांक को) –

बकरी की नस्ल	बकरी वंश			
	1 वर्ष से अधिक आयू के		1 वर्ष से कम आयु के	
	नर	मादा	नर	मादा
सिरोही				
जमुनापारी				
मारवाडी				
जखराना				
अन्य कोई नस्ल				
योग				

16. **शपथपत्र – मैं निम्न शर्तो का पालन करूंगा/करूंगी :–**

- बकरी–बकरों में रोग–प्रकोप होने पर तुरन्त नजदीकी पशु चिकित्सा संस्था से सम्पर्क करूगां/करूंगी।
- बकरे–बकरियों का नियमित टीकाकरण करवाऊंगा/करवाऊंगी।
- मैं विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना करूगां/करूंगी।

17. मैं विभागीय शर्तो के अनुसार विभागीय योजनान्तर्गत बकरा–बकरी का विक्रय करने का इच्छूक हूॅ। अतः मुझे सूचीबद्व करने का श्रम करावे।

दिनांक:–

हस्ताक्षर आवेदक

प्रपत्र – 2

Empanelment हेतु गठित समिति के लिये चैक लिस्ट

1. आवेदक का नाम :.......................... ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. जाति (जनरल/ओ.बी.सी./एस.एसी./एस.टी.) : ....
4. पूर्ण स्थायी पता : ....
5. मोबाईल नम्बर : ....
6. आधार संख्या: ....
7. निकटतम पशुपालन विभाग की संस्था का नाम : ....

क्र. सं.	बिन्दु / चेक पोईन्ट	समिति की टिप्पणी
1	**कौन सी नस्ल की बकरा–बकरियों का संधारण किया जा रहा है ?**	
2	**सूचीबद्ध किये जाने हेतु गाईडलाइन अनुसार संख्या में बकरा एवं बकरियों का संधारण किया जा रहा है अथवा नहीं ?**	
3	**क्या बकरी पालक बकरियों के प्रजनन, बकरों के वजन तथा बकरियों के दूध का रिकॉर्ड आदि का संधारण किया जा रहा है अथवा नहीं ? (बकरीपालक / फार्म मालिक से पूछ कर लिखें)**	
4	पशुपालक बकरी पालन कब से कर रहा है ? (माह एवं वर्ष)	
5	क्या बकरे–बकरियों को नियमित रूप से कृमिनाशक दवा पिलाई/प्रदान की जाती है ?	
6	क्या बकरे–बकरियों को समय पर टीकाकरण करवाया जा रहा है ?	
7	क्या बकरी पालक के रेवड़ में गत वर्ष में किसी प्रकार का संक्रामक रोग–प्रकोप हुआ है ?	
8	क्या पशुपालक विभागीय योजनाओं की जानकारी रखता है अथवा नहीं ?	
9	क्या पूर्व में सरकारी/मान्यता प्राप्त किसी संस्था को नस्ल सुधार हेतु बकरा/बकरी विक्रय किया है, अथवा नहीं अगर हॉ तो प्रमाण पत्र प्राप्त करें।	

8. **किसी भी प्रजनन फार्म/बकरी पालक के Empanelment हेतु उपरोक्त चेक लिस्ट के बिन्दु संख्या 1 से 3 तक की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।**
9. **समिति की अनुशंषा:–**

समिति द्वारा बकरी पालक/बकरी प्रजनन फार्म का दिनांक .... को मौके पर भौतिक सत्यापन उपरांत एवं वर्णित तथ्यों का परीक्षण कर इस आवेदक को सूचीबद्ध किये जाने की अनुशंषा की जाती है/ अनुशंषा के लिये उपयुक्त नही पाया गया।

(अधिकारी का नाम मय हस्ताक्षर व मोहर)
संयुक्त निदेशक/मनोनित प्रतिनिधि

(अधिकारी का नाम मय हस्ताक्षर व मोहर)
सम्बन्धित नोडल अधिकारी

(अधिकारी का नाम मय हस्ताक्षर व मोहर)
सम्बन्धित संस्था प्रभारी

10. **अतिरिक्त निदेशक क्षेत्र की अनुशंषा:–**

मेरे द्वारा गठित समिति की अनुशंषा के परीक्षण उपरांत आवेदक श्री .... पुत्र /पत्नी श्री.. /बकरी प्रजनन फार्म.. .... को Empanelment किया जाना उचित है।

(अधिकारी का नाम मय हस्ताक्षर व मोहर)
संभागीय अतिरिक्त निदेशक

(संभागीय अतिरिक्त निदेशक केवल अनुशंषित/पात्र बकरी पालक /बकरी प्रजनन फार्म के आवेदन को ही निदेशालय पशुपालन भिजवावें।)

राजस्थान सरकार

कार्यालय का नाम ....

क्रमांकः—

दिनांकः—

विज्ञप्ति का प्रारूप

पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओ यथा एन.एल.एम,. टाडा, माडा, बिखरी आबादी, आर.ए.सी.पी. एवं अन्य योजनाओं के तहत बकरा/बकरी विक्रय हेतु राजस्थान राज्य के बकरी पालकों/बकरी प्रजनन फार्म्स को सूचीबद्ध करने हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है। इच्छुक बकरी पालक / बकरी प्रजनन फार्म्स, कार्यालय समय में संबंधित जिला संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक कुचामनसिटी, पशुपालन विभाग अथवा विभागीय वेबसाईट से आवेदन पत्र प्राप्त कर दिनांक 15 जून, 2018 तक अपना आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेज, जिला संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक कुचामनसिटी, कार्यालय में जमा करा सकते हैं।

(डॉ. ....)

संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक

पशुपालन विभाग,

जिला.................................